

सेबी बोर्ड ने नियामक ढाँचे को स्वीकृत प्रदान की

प्रलिस के लिये:

[भारतीय प्रतभित और वनियम बोर्ड \(सेबी\)](#), [वैकल्पिक नविश कोष \(AIF\)](#), [वित्तीय बेंचमार्क के लिये IOSCO सदिधांत](#), सेबी (म्यूचुअल फंड) वनियम, 1996, सेबी (रयिल एस्टेट नविश ट्रस्ट) वनियम, 2014, लघु और मध्यम REIT (SM REIT), [सोशल स्टॉक एक्सचेंज \(SSE\)](#), ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रसिपिल इंस्ट्रुमेंट्स (ZCZP)।

मेन्स के लिये:

अंतरराष्ट्रीय मानकों और सदिधांतों के अनुसार सेबी द्वारा पूंजी बाज़ार के लिये मज़बूत नियामक ढाँचा और इसकी आवश्यकता और महत्त्व।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

[भारतीय प्रतभित और वनियम बोर्ड \(SEBI\)](#) बोर्ड ने प्रतभित बाज़ार में वित्तीय बेंचमार्क को नयितरति एवं प्रशासति करने में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने हेतु सूचकांक प्रदाताओं के लिये एक ढाँचे को स्वीकृत प्रदान की है।

सेबी द्वारा बनाए गए नयिम:

- सूचकांक प्रदाताओं के पंजीकरण हेतु ढाँचा:
 - सेबी ने सूचकांक प्रदाताओं के पंजीकरण के लिये एक ढाँचा स्थापति करने वाले नयिमों को स्वीकृत प्रदान करने की घोषणा की। यह ढाँचा वशिष रूप से 'महत्त्वपूर्ण सूचकांकों' पर लागू होगा, जनिहें सेबी वस्तुनषिठ मानदंडों के आधार पर पहचानेगा।
 - नयिमक ढाँचा, [अंतरराष्ट्रीय प्रतभित आयोग संगठन \(IOSCO\)](#) वित्तीय बेंचमार्क के सदिधांतों के अनुरूप है।
- AIF नविश हेतु डिमिटरयिलाइज़ेशन (अभौतकीकरण) की आवश्यकता:
 - सेबी ने [वैकल्पिक नविश कोष \(AIF\)](#) के लिये सतिंबर 2024 के बाद कथि गए नए नविश को डिमिटरयिलाइज़ड रूप में रखने की शुरुआत की।
 - हालाँकि मौजूदा नविश इस नयिम के अधीन नहीं हैं, जब तक कि संबंधित कानून द्वारा आवश्यक न हो या जब तक AIF नविशति कंपनी स्वयं या अन्य सेबी-पंजीकृत व्यवसायों के साथ संयोजन में नयितरति न हो।
 - संरक्षकों की नयिकृता का आदेश, जो पहले वशिषिठ AIF श्रेणयिों पर लागू होता था, अब सभी AIF पर लागू होगा।
- सेबी (रयिल एस्टेट नविश ट्रस्ट) वनियमों में संशोधन:
 - सेबी बोर्ड ने [रयिल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट \(REIT\)](#) के वनियमों में संशोधन को स्वीकृत प्रदान की, ताकि कम-से-कम ₹50 करोड़ की संपत्ति मूल्य वाले लघु और मध्यम REIT (SM REIT) के लिये एक नयिमक ढाँचा तैयार कथि जा सके।
 - वशिष प्रयोजन वाहनों (SPV) के माध्यम से लघु और मध्यम REIT (SM REIT) अपने रयिल एस्टेट परसिपत्त स्वामतिव के लिये अलग योजनाएँ स्थापति करने में सक्षम होंगे।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) ढाँचे में लचीलापन:
 - सेबी ने [गैर-लाभकारी संगठनों \(NPO\)](#) द्वारा धन की उगाही (boost fundraising) को बढ़ावा देने के लिये [सोशल स्टॉक एक्सचेंज \(SSE\)](#) के ढाँचे में लचीलापन प्रदान कथि।
 - इसमें SSE पर NPO द्वारा [ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रसिपिल इंस्ट्रुमेंट्स \(ZCZP\)](#) के सार्वजनिक नरिगमन हेतु न्यूनतम नरिगम आकार (issue size) और आवेदन आकार (application size) में कमी शामिल है, जसिसे खुदरा नविशकों सहति व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहति कथि जा सकेगा।
- NPO के लिये नामावली में बदलाव (Nomenclature Change) और सुवधिजनक उपाय:
 - सेबी ने सामाजिक क्षेत्र के प्रत सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिये नामकरण को "सामाजिक लेखा परीक्षक" से "सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनकर्ता" में परिवर्तन को स्वीकृत प्रदान की है।
 - इस उपाय का उद्देश्य SSE में शामिल NPO को राहत प्रदान करना और सामाजिक प्रभाव पहल के लिये सेबी के समर्थन को सुदृढ करना है।

प्रमुख शब्दावली:

- **सूचकांक प्रदाता:** यह वित्तीय सूचकांकों के मूल्यों, **उन्हें बनाए रखने और गणना करने के लिये ज़िम्मेदार संस्था है।** वित्तीय सूचकांक वित्तीय बाजारों के एक विशिष्ट खंड के प्रदर्शन का एक सांख्यिकीय माप है।
- **वैकल्पिक निवेश कोष (AIF):** AIF से तात्पर्य भारत में स्थापित किसी भी निवेश से है, जो एक नज़ी तौर पर एकत्रित निवेश माध्यम है जो अपने निवेशकों के लाभ के लिये एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने के लिये **परिष्कृत निवेशकों, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, से धन एकत्र करता है।**
- **श्रेणियाँ:**
 - **श्रेणी I AIF:** सामान्यतः ये **स्टार्ट-अप या शुरुआती चरण के उद्यमों में निवेश** करते हैं जिनमें सरकार या नियामक सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनीय मानते हैं।
 - **जैसे:** उद्यम पूंजी नधि, अवसंरचना नधि।
 - **श्रेणी II AIF:** ये वे **AIF** हैं जो श्रेणी I और III में नहीं आते हैं और जो **सेबी (वैकल्पिक निवेश नधि) विनियम, 2012** के नियमों के अनुसार दैनिक-प्रतिदिन की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अन्य लाभ या ऋण नहीं लेते हैं।
 - **जैसे:** रियल एस्टेट फंड, नज़ी इक्विटी फंड।
 - **श्रेणी III AIF:** ये **AIF** जो विधि या जटिल व्यापारिक रणनीतियों को नयोजित करते हैं और सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध संजातीय (derivatives) निवेश का लाभ उठा सकते हैं।
 - **जैसे:** हेज (hedge) फंड, सार्वजनिक इक्विटी फंड में नज़ी निवेश।
- **रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT):** यह निवेश का वह साधन है, जो व्यक्तियों को संपत्ति का प्रत्यक्ष प्रबंधन या स्वामित्व **कबि बना बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट** में निवेश करने और आय अर्जित करने की अनुमति प्रदान करता है।
 - REIT, **रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के विधि पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिये कई निवेशकों से पूंजी एकत्र करता है,** जिसमें आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियाँ, शॉपिंग सेंटर, कार्यालय, होटल आदि शामिल हैं।
- **सोशल स्टॉक एकसचेंज (SSE):** SSE मौजूदा **स्टॉक एकसचेंज के भीतर एक अलग खंड के रूप में कार्य करेगा** और सामाजिक उद्यमों को अपने तंत्र के माध्यम से सामान्य जन से धन एकत्रित करने में सहायता करेगा।
 - यह **उद्यमों के लिये अपनी सामाजिक पहलों हेतु वित्त प्राप्त करने, दृश्यता हासिल करने और धन एकत्रित करने और अधिक पारदर्शिता प्रदान करने के माध्यम के रूप में कार्य करेगा।**

सेबी (SEBI):

- **परिचय:**
 - सेबी **भारतीय प्रतभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992** के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय (एक गैर-संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया) है।
 - सेबी का मूल कार्य प्रतभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है।
 - सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं।
- **पृष्ठभूमि:**
 - सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक (Controller of Capital Issues) नियामक प्राधिकरण था; इसे पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत अधिकार प्राप्त थे।
 - अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था।
 - प्रारंभ में सेबी एक गैर-वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी, लेकिन सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना और इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- **संरचना:**
 - सेबी बोर्ड में **एक अध्यक्ष और कई अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य** होते हैं।
 - सेबी समय-समय पर तत्कालीन महत्त्वपूर्ण मुद्दों की जाँच हेतु विभिन्न समितियाँ भी नियुक्त करता है।
 - **इसके अतिरिक्त सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिये एक प्रतभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal- SAT) का गठन भी किया गया है।**
 - **SAT में एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य** शामिल होते हैं।
 - सेबी के पास वही शक्तियाँ हैं, जो एक **दीवानी न्यायालय** में नहित होती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति प्रतभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) के निर्णय या आदेश से सहमत नहीं है तो वह **सर्वोच्च न्यायालय** में अपील कर सकता है।



POWERS OF SEBI

1

Quasi- Judicial

Power to give judgements on unethical & fraudulent activities.

2

Quasi- Executive

Power to implement regulations & take legal action against violators.

3

Quasi- Legislative

Framing the rules & regulations to protect the interest of investors

अंतर्राष्ट्रीय प्रतभूति आयोग संगठन (IOSCO):

परिचय:

- स्थापना: अप्रैल 1983
- मुख्यालय: मेड्रिड, स्पेन
 - IOSCO का एशिया पैसिफिक हब (IOSCO Asia Pacific Hub) कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के प्रतभूति नियामकों को एक साथ लाता है, IOSCO विश्व के 95% से अधिक प्रतभूति बाजारों को कवर करता है तथा प्रतभूति क्षेत्र के लिये वैश्विक मानक निर्धारक का कार्य करता है।
- यह प्रतभूति बाजारों की मजबूती हेतु मानक स्थापित करने के लिये [G20 समूह](#) और [वित्तीय स्थिरता बोर्ड \(FSB\)](#) के साथ मिलकर कार्य करता है।
 - वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में अपनी सफाई प्रस्तुत करता है।
- IOSCO के प्रतभूति विनियमन के [सिद्धांतों और लक्ष्यों](#) को FSB द्वारा तर्कसंगत वित्तीय प्रणालियों के लिये प्रमुख मानकों के रूप में समर्थन प्रदान किया गया है।
- IOSCO की प्रवर्तन भूमिका का विस्तार ['अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक' \(IFRS\)](#) की व्याख्या के मामलों तक है, जहाँ IOSCO सदस्य एजेंसियों द्वारा की गई [प्रवर्तन कार्रवाइयों का एक \(गोपनीय\) डेटाबेस रखा जाता है](#)।
 - IFRS एक लेखा मानक है जिसे [अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड \(IASB\)](#) द्वारा वित्तीय जानकारी के प्रस्तुतीकरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये एक सामान्य लेखांकन भाषा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

उद्देश्य:

- नविकों की सुरक्षा, निषेकष, कुशल और पारदर्शी बाजारों को बनाए रखने तथा प्रणालीगत जोखिमों को दूर करने के लिये [अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एवं विनियमन, निरीक्षण व प्रवर्तन के मानकों का पालन सुनिश्चित करने, लागू करने और बढ़ावा देने में सहयोग करना](#)।
- प्रतभूति बाजारों की अखंडता में [सूचना के आदान-प्रदान और कदाचार](#) के खिलाफ प्रवर्तन में सहयोग तथा बाजारों एवं बाजार के

- मध्यस्थों की नगिरानी में सहयोग के माध्यम से नविशकों की सुरक्षा व विश्वास को बढ़ावा देने के लिये; और
- बाज़ारों के विकास में सहायता, बाज़ार के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने और उचित वनियमन को लागू करने के लिये अपने अनुभवों के आधार पर वैश्विक तथा क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिये।

■ सदस्यता का महत्त्व:

- IOSCO, सदस्यों को साझा हितों के क्षेत्रों, वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये मंच प्रदान करता है।
- सेबी IOSCO का सदस्य है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. पंजीकृत वदेशी पोर्टफोलियो नविशकों द्वारा उन वदेशी नविशकों, जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाज़ार का हिस्सा बनना चाहते हैं, नमिनलखिति में से क्या जारी किया जाता है? (2019)

- (a) जमा प्रमाण पत्र
- (b) वाणजियिक पत्र
- (c) वचन-पत्र (प्रॉमिसरी नोट)
- (d) सहभागिता पत्र (पार्टसिपिटरी नोट)

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sebi-board-approves-regulatory-framework-1>

